

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या: 141/2019

मेन्टर होम लोन्स इण्डिया लि0 पूर्व में (मेन्टर इण्डिया लि0) प्रधान कार्यालय मेन्टर हाउस,
गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर

.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

- (1). श्री सांवर लाल मेघवंशी पुत्र श्री नारायण लाल
- (2). श्रीमती खुशवा देवी पत्नि श्री सांवर लाल
निवासीगण:- प्लॉट नम्बर 21, ग्राम पीथावास, पंचायत समिति मसूदा, जिला अजमेर
- (3). श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री शम्भू लाल
निवासी:- प्लॉट नम्बर 75, भाभीयों का मोहल्ला, लोरडी, दौलतपुरा, सन्थाना,
जिला अजमेर

.....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिकसट्कशन
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :-

सुरज शर्मा

- अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 01.10.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण 01 लगायात 02 को दिनांक 15.04.2017 को रु. 4,00,000/- (अक्षरे चार लाख रुपये) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम पीथावास, ग्राम पंचायत देवमाली, पंचायत समिति मसूदा, जिला अजमेर स्थित पट्टा नम्बर 21 की सम्पत्ति, जो श्री सांवर लाल मेघवंशी पुत्र श्री नारायण लाल के नाम से है, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 10.03.2018 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 17.09.2018 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रुपये 5,87,727/- (अक्षरे पांच लाख सत्यासी हजार सात सौ सताईस रुपये) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत



W. Sharma
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने यहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण त्रुणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक सम्पत्ति ग्राम पीथावास, ग्राम पंचायत देवमाली, पंचायत समिति मसूदा, जिला अजमेर स्थित पट्टा नम्बर 21 की सम्पत्ति, जो श्री सांवर लाल मेघवंशी पुत्र श्री नारायण लाल के नाम से है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्य कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 01.10.2019 को सुनाया गया।



V. Sharma
(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर